

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नाथूदास बनाम् सॉवरदास वगै०
दावा बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 32/2019

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(लक्ष्मीकांत गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकांत गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

